उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:531 –पारे0अनु0–16सी/पाट्राकालि–2020 दिनांक : 05 सितम्बर, 2020

ई–मेल

मुख्य अभियन्ता (पारे०प०)/(पारे०द०म०)/
(पारे0 उ0पू0)/(द0पू0)/(पारे0 द0प0)/(पारे०म०)/
(संचार एवं नियंत्रण)/(ऊर्जा प्रणाली परिचालन)
(सी०एम०यू०टी०)/(765 एवं 400 के०वी० परिकल्पना इकाई)/
नियोजन/(परि० एवं क्रय)/(जानपद पारेषण–प्रथम/द्वितीय)
उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०,
मेरठ/झांसी /गोरखपुर/ प्रयागराज/आगरा/लखनऊ ।

विषय:– केन्द्र/राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को फिर से खोले जाने हेतु मानक प्रक्रिया (स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) का निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–24/08/76–का–प्रसको–2020 दिनांक 22.08.2020 की प्रतिलिपि संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रशिक्षण संस्थानों को फिर से खोले जाने हेतु उक्त पत्र द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रिया (**Standard Operating Procedure (SOP)**) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रम की सूचना उपलब्ध करायें।

उक्त मानक प्रक्रिया प्रशिक्षण संस्थानों एवं कार्मिकों को कोविड–19 महामारी से बचाव/रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)

संख्या: 531 –पारे0अनु0–16सी/पाट्राकालि–2020 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, ~~लखनऊ~~।
2. संयुक्त सचिव (I/II), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, ~~लखनऊ~~।
3. उप सचिव (I/II), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. वेब साइट।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(Shakti Bhawan, Lucknow)
CIN:U322001UP1999SGC024928

सं0–379–प्रशि0–10/पाकालि/2020–11(56)प्र0से0/2000 दिनांक 01 सितम्बर, 2020

महानिदेशक,
विद्युत प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
सरोजनीनगर,
लखनऊ।

विषयः–केन्द्र/राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को फिर से खोले जाने हेतु मानक प्रक्रिया (स्टैन्डर्ड आपरेटिग प्रोसीजर) का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–24/08/76–का–प्रसको–2020 दिनांक 22 अगस्त, 2020 की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त पत्र द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को फिर से खोले जाने हेतु निर्धारित मानक प्रक्रिया (स्टैन्डर्ड आपरेटिग प्रोसीजर) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम की सूचना उपलब्ध करायें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
/
(ए0के0 पुरवार)
निदशेक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

सं0–379–प्रशि0–10/पाकालि/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक (ट्रांसमिशन), उ0प्र0 पावर ट्रासमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को। वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–24 / 08 / 76–का–प्रसको–2020

प्रेषक,

श्री मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 378 प्रशि०–10 / पाकालि / 20
पत्रावली सं० 11(56) प्र०शि०/2000 (MF).
क्रम सं० ~~487~~ 487

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
नियोजन विभाग / न्याय विभाग / गृह विभाग / कारागार विभाग / सचिवालय प्रशासन विभाग / राजस्व विभाग / सिंचाई विभाग / वित्त विभाग / संस्थागत वित्त / ऊर्जा विभाग / कृषि विभाग / नागरिक सुरक्षा / वन विभाग / ग्राम्य विकास विभाग / क्षेत्रीय विकास / सहकारिता विभाग / गन्ना विकास विभाग / परिवहन विभाग / शिक्षा विभाग / समाज कल्याण / पर्यटन विभाग / प्राविधिक शिक्षा / खादी ग्रामोद्योग / आबकारी विभाग / श्रम विभाग / चिकित्सा विभाग / उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन अकादमी,(उपाम), सेक्टर–डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक विभाग–प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ **लखनऊः: दिनांकः: 22 अगस्त, 2020**

विषयः केन्द्र / राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को फिर से खोले जाने हेतु मानक प्रकिया (स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) का निर्धारण।

महोदय,

राज्य सरकार के अधीन संचालित प्रशिक्षण संस्थानों को कोविड–19 महामारी के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को तात्कालिक प्रभाव से प्रारम्भ किये जाने हेतु, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित प्रकिया का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे एवं अपनी गतिविधियों को कियान्वित करते समय कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए निम्नवत् सभी आवश्यक कदम उठाये जायें:–

<u>सामान्य दिशा–निर्देश</u>

(1) जहां तक संभव हो प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजिटल / ऑनलाइन / वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। जहां भौतिक रूप से उपस्थिति सहित प्रशिक्षण आयोजित करना आवश्यक है, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि की ध्यानपूर्वक समीक्षा की जाय ताकि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को डिजिटल और भौतिक रूप से अलग करते हुए प्रशिक्षण को संक्षिप्त / संहृत रखा जा सके।

(2) केंद्रीय और राज्य / जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा समय–समय यथाविहित सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और कोविड–19 से संबंधित अन्य सभी प्रोटोकॉल का पालन, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी क्लास रूम, स्टाफ रूम, ऑफिस, हॉस्टल, कॉरिडोर, लॉबी, कॉमन एरिया और वॉशरूम आदि की पूरी तरह से सफाई / सैनीटाईजेशन होनी चाहिये।

अनुभाग अधिकारी (प्रशिक्षण) कृ-प्रस्तुत करें। 27/8/20
ROC(R)/DA 28.08.2020

अवस्थी

कृपया पत्रावली प्रस्तुत।

.......02.....

(4) सर्वोत्तम प्रयासों पर आधारित सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी प्रशिक्षुओं/अन्य कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा संगति योग्य मोबाइल फोन पर डाउनलोड और इंस्टॉल किया गया है।

(5) प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कोविड से संबंधित प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाय और विशेष रूप से कोविड–19 से संबंधित मामलों के लिए भूमिकाओं का स्पष्ट रूप से अवधारण करते हुए समितियों का गठन करना चाहिए।

(6) प्रशिक्षण संस्थानों के सभी प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों द्वारा अपने स्वास्थ्य की प्रास्थिति, यथा बुखार/खांसी/गले की खराश/इन्फ्लूएन्जा जैसे लक्षणों के बारे में, संस्थान के चिकित्सा प्राधिकारियों को समय पूर्व, स्वयं से बता देने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(7) योग्य चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी सहित एक कार्यशील चिकित्सा क्लिनिक/केन्द्र, प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें प्रोटोकाल के साथ कर्मचारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षुओं के फ्लू जैसे लक्षणों के उपचार की व्यवस्था रहेगी। लक्षणयुक्त रोगियों के परीक्षण और पृथक्करण (आइसोलेशन) क्वारंटाइन के लिये त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों के परामर्श से मानक प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) तैयार की जायगी।

(8) प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा स्थानीय लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों के परामर्श से कोविड–19 पॉजिटिव/संदिग्ध मामलों के लिए अलग–अलग क्वारांटाइन/ आइसोलेशन की सुविधा बनाई जानी चाहिए।

(9) कोविड–19 परीक्षण/उपचार सुविधाएं त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए स्थानीयप्रयोगशालाओं/अस्पतालों/एम्बुलेंस सेवाओं और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क बनाया जाना चाहिये।

(10) प्रशिक्षण संस्थान में आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। यदि ऐसे आगंतुकों को अनुमति दी जाती है तो निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समुचित जांच के बाद ही ऐसे आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति दी जाय। प्रवेश बिंदुओं पर थर्मल स्कैनर लगाये जायं।

(11) प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश और निकास को विनियमित किया जाय जिससे कि बाहर के किसी भी आगंतुक को प्रवेश की अनुमति न हो, कर्मचारियों (अनुबंध कर्मचारियों, विक्रेताओं और वाहनों सहित) को, जो सामग्री की खरीद और रसद आदि के लिए तैनात हैं, उनकी एवं वस्तुओं की यथोचित जांच, थर्मल स्कैनिंग एवं सैनीटाईजेशन, प्रवेश द्वार पर कराने के बाद अनुमति दी जाय।

(12) प्रवेश द्वार पर और संस्थान के सभी प्रमुख स्थानों जैसे रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस रूम, लेक्चर हॉल इत्यादि में टच फ्री हैंड लिक्विड, हैंड सैनिटाइजर रखा जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति–संकाय सदस्य/कर्मचारी सदस्य/आगंतुक/प्रशिक्षु करे परिसर में प्रवेश से पूर्व हाथ सैनेटाईज करना चाहिए।

(13). सभी विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, हाऊस कीपिंग स्टाफ, श्रमिकों आदि को स्टाफ क्वार्टर में यथासम्भव सीमा तक समायोजित किया जाना चाहिए। जहां ऐसे सभी कर्मचारियों को समायोजित करना मुश्किल है, उन्हें परिसर में प्रवेश की अनुमति देने से पहले उनकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और उन्हें अधिकारी प्रशिक्षुओं के निकट ड्यूटी के लिए नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

.........03......

(14) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत-सरकार द्वारा यथा चिन्हित सह-रुग्ण परिस्थितियों वाले लोगों की कुछ श्रेणियां उच्च जोखिम में रखी गयी है। ऐसे प्रशिक्षुओं द्वारा वर्तमान पोस्टिंग/एटीआई के स्थान से (प्रशिक्षण) पाठ्यक्रम में ऑनलाइन भाग लेना बेहतर होगा। ऐसे हाई-रिस्क व्यक्तियों में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं:-

(क) गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं,

(ख) निम्नलिखित चिकित्सा स्थितियों वाले लोग:

(1) गंभीर अस्थमा या पुरानी फेफड़ों की बीमारी वाले लोग,

(2) उच्च रक्तचाप,

(3) डायलिसिस से गुजरने वाले क्रोनिक किडनी रोग वाले लोग,

(4) दिल की गंभीर स्थिति वाले लोग,

(5) चिकित्सा विशेषज्ञ की राय में कोविड-19 परिस्थिति में संभावित रूप से उच्च जोखिम वाली कोई अन्य चिकित्सकीय स्थिति।

(6) कोई अन्य श्रेणी/लक्षण जो अधिसूचित की जाय।

(15) प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, प्रशिक्षुओं के शामिल होने से पहले प्रशिक्षुओं की फिटनेस के निर्धारण की विधियों पर विचार किया जा सकता है। सभी प्रशिक्षु अधिकारियों से एक ऑनलाइन घोषणा प्राप्त करने पर विचार किया जा सकता है कि वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों या अरोग्य सेतु ऐप आदि पर उपलब्ध प्रास्थिति के संदर्भ में उच्च जोखिम की स्थिति में नहीं हैं।

<u>ii प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षु अधिकारियों का आगमन</u>

(16) जहां तक सम्भव हो, प्रशिक्षु अधिकारियों को, अपरिचित सार्वजनिक परिवहन में सम्पर्क से बचने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन से ही प्रशिक्षुओं के परिवहन की व्यवस्था करनी चाहिए।

(17) प्रशिक्षण संस्थानों को संस्थान में आने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों की आरोग्य सेतु ऐप पर उनकी प्रास्थिति की जाँच करनी चाहिए।

(18) प्रशिक्षण संस्थान में आने पर, संस्थान, संबंधित राज्य सरकार के दिशा- निर्देशों के आधार पर क्वारंटाईन/आईसोलेशन संबंधी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करायेगा।

(19) प्रशिक्षुओं को आवंटित कमरे, उनके क्वारंटाईन/आईसोलेशन के लिए क्वारंटाईन स्थल के रूप में काम कर सकते हैं।

(20) प्रशिक्षुओं के आने के तुरन्त बाद ही उनकी बेसिक (मूलभूत) जांच/स्क्रीनिंग यथा निर्धारित स्थलों पर की जानी चाहिए और उसके बाद ही उन्हें सुरक्षित और साफ- सुथरे छात्रावासों में अपने आवंटित कमरों में जाने दिया जाए।

(21) छात्रावास में को प्रत्येक प्रशिक्षु को यथासंभव अलग-अलग कमरे आवंटित किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, 02 से अधिक प्रशिक्षुओं को एक कमरे में न रखा जाय। प्रशिक्षण कार्यकम इस प्रकार व्यवस्थित किया जाय (आगे पीछे रखा जाय) कि सभी प्रशिक्षुओं के लिये छात्रावास में पर्याप्त जगह बनी रहे और भीड़-भाड़ न होने पाये।

(22) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यूनतम संख्या में प्रशिक्षुओं को डारमिटोरी (सह-प्रांगण शयन गृह) में रखा जाय। इस तरह के कॉमन वॉशरूम/जन सुविधाओं एवं कमरों को बार-बार सेनिटाईज किये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

......04.......

(23) परिसर के भीतर प्रशिक्षुओं के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षु अपने आवंटित कमरों में रहें और कॉमन एरिया जैसे लाउंज आदि में जाने से बचें।

(24) प्रशिक्षुओं को अपने कमरों की स्वयं सफाई करने/वाशिंग मशीन/लॉन्ड्रोमैट्स का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि दूसरों के साथ सम्पर्क से बचा जा सके।

(25) प्रशिक्षुओं को क्वारंटाईन/आईसोलेशन अवधि के दौरान दृढ़तापूर्वक हमेशा पूर्ण अलगाव बनाए रखना चाहिए। इस अवधि के दौरान प्रशिक्षु के छात्रावास के कमरे में भोजन और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(26) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी को भी क्वारंटाईन/आईसोलेशन किये गये प्रशिक्षु से मिलने की अनुमति न दी जाय।

(27) क्वारंटाईन/आईसोलेशन किये गये प्रशिक्षुओं को नियमित रूप से अपने तापमान के स्तर की जांच कराने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा थर्मामीटर प्रदान करना चाहिए। यदि संभव हो तो चिकित्सा संस्थान द्वारा चिकित्सा स्टाफ के साथ टेली-परामर्श की व्यवस्था भी की जा सकती है।

(28) यदि किसी प्रशिक्षु में फ्लू जैसे लक्षण विकसित होते हैं या कोविड-19 के लिए परीक्षण पॉजिटिव आता है, तो उसे स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल के अनुरूप तुरंत अलग क्वारंटाईन सुविधा/निर्धारित चिकित्सालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

(29) सभी प्रशिक्षुओं को संस्थान में उनके आगमन की तिथि से दैनिक आधार पर अपने संपर्क में आने वाले लोगों का एक नोट रखने के लिए कहा जाना चाहिए।

(30) क्वारंटाईन/आईसोलेशन अवधि के दौरान कोई भी बाहरी भौतिक गतिविधियाँ नहीं होंगी।

iii कक्षा सत्र

(31) प्रशिक्षुओं के क्वारंटाईन/आईसोलेशन की अवधि के दौरान, कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए और प्रशिक्षु अपने संबंधित छात्रावास के कमरों से ही ऑनलाइन कक्षाओं में प्रतिभाग करेंगे।

(32) क्वारंटाईन/आईसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद, प्रशिक्षुजन सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए, फेस मास्क और यथाविहित अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हुये प्रशिक्षु कक्षा में उपस्थित हो सकते हैं।

(33) व्याख्यान कक्ष/कक्षाओं में पर्याप्त वातायन (वेंटिलेशन) सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार एयर कंडीशनर को साफ/सैनिटाईज किया जाना चाहिए। लगातार सत्रों के बीच पर्याप्त अंतराल होना चाहिए। क्लास में लम्बे प्रशिक्षण सत्र से बचा जाना चाहिए।

(34) पठन सामग्री और केस स्टडी आदि, प्रशिक्षुओं को पहले से ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि कक्षा सत्र का समय कम किया जा सके।

(35) जहाँ तक संभव हो, चाय/कॉफी और पानी आदि को डिस्पोजेबल कप/गिलास में परोसा जाना चाहिए।

......05......

(36) कक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए दैनिक रूप से तापमान जांच सहित बेसिक स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं में सामान्य सीमा से अधिक तापमान (जो किसी भी प्रकार के फ्लू के कारण हो सकता है) पाये जाने पर उन्हें स्वयं को अलग–थलग करना चाहिए जब तक कि कोविड–19 संक्रमण की सम्भावना समाप्त न हो जाय।

(37) समूह बैठकें/सामूहिक अभ्यास को ऑनलाइन/आभासी (virtual) प्रारूप में आयोजित किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

IV–शारीरिक गतिविधियाँ और बाहरी सम्पर्क

(38) शारीरिक व्यायाम के लिए सभी इनडोर सुविधाएं जैसे जिम, स्वीमिंग पूल आदि बंद रहनी चाहिए और केंद्र/राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए कमरे में योग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(39) केंद्र/राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के आधार पर, और स्थान की उपलब्धता के अनुसार संस्थान द्वारा विशेष रूप से सुबह के समय परिसर के अंदर सीमित शारीरिक गतिविधियाँ कराने पर निर्णय लिया जा सकता है।

(40) प्रशिक्षण अवधि के दौरान सामाजिक/सांस्कृतिक समारोह, सभा एवं अन्य गतिविधियाँ आयोजित करने से बचा जाय।

(41) COVID-19 की स्थिति और यात्रा से सम्बन्धी प्रतिबंधों का आकलन करने के बाद ही आउटस्टेशन यात्राएं की जा सकती हैं।

V-मेस और भोजन:

(42) भोजन का समय, पर्याप्त अंतराल के साथ समुचित रूप से आगे–पीछे किया जा सकता है। अन्य प्रशिक्षु अधिकारियों के लिये मेस/डाइनिंग हॉल में बिताए समय को कम करने के लिए एक उपयुक्त समय सारणी बनाकर सभी संबंधितों को प्रसारित की जा सकती है।

(43) मेस पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रशिक्षु और मेस के कर्मचारी मेस/डाइनिंग में प्रवेश करने से पहले हाथ धो लें। मेस/डाइनिंग हॉल के बाहर टचलेस हैंड सैनिटाइजर स्थापित किए जा सकते हैं।

(44) मेस/डाइनिंग हॉल के अंदर पर्याप्त दूरी सभी को रखनी चाहिए। सीटें इस प्रकार व्यवस्थित की जानी चाहिए कि प्रशिक्षु भोजन करते समय एक–दूसरे के सम्मुख न हों।

(45) बर्तन–व्यंजन, कप, साबुन, तौलिए आदि को साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

VI-सामान्य

(46) जब तक कि अत्यन्त आवश्यक न हो, अधिकारी प्रशिक्षुओं को परिसर से बाहर जाने या परिसर से बाहर रहने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार का बाह्य गमन आपवादिक रूप से और संस्थान के निदेशक के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाय।

(47) कैंपस के भीतर सभी दैनिक आवश्यक वस्तुओं जैसे स्टेशनरी, स्नैक्स, टॉयलेट सामग्री, खाद्य पदार्थ, चाय/कॉफी आदि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा सकता है।

.........06.......

(48) चिकित्सा प्राधिकारियों (मेडिकल अथॉरिटीज) एवं आयुष मंत्रालय द्वारा अनुशंसित इम्युनिटी बढ़ाने वाले उत्पादों को, उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
(49) लिफ्टों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। लिफ्ट का उपयोग करने के मामले में, सामाजिक दूरी संबंधी शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
(50) यदि किसी प्रशिक्षु का परीक्षण, पॉजिटिव आता है तो संबंधित क्षेत्र/संस्था के कीटाणुशोधन/सैनिटाईजेशन बन्द कराने के लिये,केन्द्र/राज्य/जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जा सकता है।

सभी नियंत्रक विभाग अपने अधीन प्रशिक्षण संस्थानों को उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव